सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00149

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 11/2017

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र मुकंदलाल निवासी शाप नम्बर 116, तहबाजार, श्रीकरनपुर, जिला श्रीगंगानगर
मै0 नागपाल स्वीट हाउस, श्रीकरनपुर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 08.01.2018

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 03.03.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 27.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानवृत दिनांक 31.05.2016) दिनांक 02.03.2016 को दोपहर 2.30 पी.एम. पर फर्म अशोक कुमार पुत्र श्री कुन्दनलाल मै0 नागपाल स्वीट हाउस, श्रीकरनपुर , जिला श्रीगंगानगर पहुंचे एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मै नागपाल स्वीट हाउस श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर, खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को बेसन के लडडू बनाकर बेच रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ बेसन के लडडू के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की , दुकान के स्टील बॉक्स में रखे बेसन के लडडू लगभग 15 कि.ग्रा. को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रूप किये गये एवं 2 कि.ग्रा. एक साफ सूखे खाली भिगोन में खरीदा, बेसन के लडडू की किमत 400/–रूपये अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों का चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशियॉ दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा बेसन के लडडू को चारो नमूना शीशियों में बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली। चारों नमूना शीशीयों पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना शीशियों को कोर्क से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–679 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता अशोक कुमार ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/581/एक्ट/2016/1362 दिनांक 04.04.2016 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–679 बेसन के लडडू **अमानक स्तर** (Sub Standard) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री अशोक कुमार पुत्र मुकंदलाल श्रीकरनपुर मै. नागपाल स्वीट हाउस, श्रीकरनपुर द्वारा अमानक स्तर बेसन के लडडू का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस बेसन के लडडू का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Sub Standard)

श्री जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पाया गया है। भविष्य में मैं (Sub Standard) बेसन के लडडू नहीं बेचूगा एंव बेसन पिन्नी व अन्य खाद्य सामग्री की क्वालिटी श्रेष्ठ रखूंगा और उसी का बेचान करूंगा। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया बेसन के लडडू का सैम्पल के–679 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/581/एक्ट/2016/1362 दिनांक 04.04.2016 द्वारा **सब स्टैण्डर्ड** होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02– Besan Ke Laddu [Made in Ghee] = 48-8 पाया गया जबकि Minimum 44.0 to 44.0 प्रतिशत होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि में मैं बेसन पिन्नी व अन्य खाद्य सामग्री की क्वालिटी श्रेष्ट रखूगा और उसी का बेचान करूंगा सब सटण्र्ड क्वालिटी के कार्य नही करूंगा एवं इस प्रकार के Sub Standard बेसन के लडडू का विकय नहीं करूगां। अतः लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया गांय का दूध Sample of "Besan Ke Laddu " bearing Code No. and Sr. No. K-679 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Substandard** as it is does not meet to the prescribed provisions as per Food Fafety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 2500–00 (अखरे रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में बेसन के लडडू के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/1/18

(नखतदान, बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
श्रीगंगानगर